2022/328

उनवानः– जगदीश बनाम रामनिवास

मु0न0:–125/2022

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

दिनांकः– 07.10.2022

मु0न0 125/2022

पीठासीन अधिकारीः– पूजा मीना आर.ए.एस

उनवान

जगदीश पुत्र रामफूल जाति मीना निवासी मेरेडा तहसील टोडाभीम।

(सायलान)

बनाम

1. रामनिवास पुत्र घन्टोली जाति मीना
2. केशन्ती पत्नि रामनिवास मीना
3. गोपाल पुत्र रामनिवास मीना
4. केशवती पत्नि गोपाल मीना

जातियान मीना निवासीयान मेरेडा तहसील टोडाभीम।

(गैरसायलान)

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितिः– श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट सायल
श्री हसंराम गूर्जर एडवोकेट गैरसायलान

निर्णय दिनांक 16.12.2024

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम मेरेडा की आराजी ख0न0 121/0.07, 1258/0.19, 1258/1666/0.04, 127/0.21, 128/0.19, 1300/0.09, 1301/0.10, 1302/0.09, 1303/0.08, 1372/0.13, 1375/1603/0.03, 1507/0.61, 1509/0.39, 1510/0.26, 1511/0.25, 1522/1588/0.04, 1523/0.10, 1526/0.05, 1534/0.10, 1535/0.10, 1536/0.05, 1538/0.05, 529/0.21, 529/1622/0.06, 536/0.05, 537/0.15, 538/0.11, 570/0.24, 68/0.27, 69/0.16, 70/0.06, 810/0.41, 812/0.16, 813/0.19, 911/0.87, 931/1600/0.12, 932/0.22 कुल किता 38 कुल रकवा 6.37 है0 मे सायल 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। तथा बकिया हिस्से के अन्य सहखातेदार काश्तकार दर्ज है।

यह है कि उक्त आराजी सायल के कब्जे काश्त की आराजी है तथा वे ही काश्त कर रहे है। उक्त आराजी से सायल के अलावा गैरसायलान या अन्य किसी भी व्यक्ति का कोई संबध किसी प्रकार का नही है, और नाही आज है।

यह है कि गैरसायलान लठैत, मुठमर्द राजनैतिक पहुच रखने वाले व्यक्ति है। जिन्होने एक गिरोह कर रखा है तथा वे येन कने प्रकारेन सायल को हैरान परेशान कर सायल की आराजीयात से सायल को [illegible] आराजी से बेदखल करने पर उतारू है।

बाका दिनांक 29.9.2022 को सायल अपनी [illegible] की साफ सफाई कर [illegible] कि गैरसायलान एकराय होकर सायल के हिस्से व [illegible] की आराजी ख0न0 [illegible] जबरदस्ती घुस आये तथा आते ही गाली गलौच करने लगे कि उक्त आराजी हमे बुजुर्गो से मिली है आराजी को शुरू से ही मे काश्त कर रहा हूॅ तुम बिना बजह से ही क्यो परेशान कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:01:03 IST
Reason: SelfAttested

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

Scanned with OKEN Scanner

मु0न0:–125/2022 उनवान:– जगदीश बनाम रामनिवास

रहे हो इतना सुनते ही गैरसायलान नाराज हो गये तथा कहने लगे कि उक्त आराजी हमारे परण मे है तुम्हे बेदखल कर इस आरजी पर कब्जा करेगे। सायल ने गैरसायला को काफी समझाया पर वे किसी की एक मानने को तैयार नही है तथा आराजी पर जबरदस्ती निर्माण करने पर आमदा है इस प्रकार गैरसायलान अपनी इस कुचेष्ठा मे कामयाब हो गये तो सायल को अपूर्तनीय क्षति होगी। सायल का प्राईमाफेसी केस बखूबी साबित है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का सिद्वान्त भी सायल के पक्ष मे है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से गैरसायलान को कोई क्षति किसी प्रकार की नही है। जबकि अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही होने से सायल को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से संभव नही है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सायलान बखिलाफ गैरसायलान बावत अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय से पाबन्द किया जावे कि ग्राम मरेडा की आराजी ख0न0 932/0.22 है0 मे सायल को बेदखल नही करे। सायल के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे। सायल को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे। रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल न0 1 ता 4 की ओर से श्री हंसराम गूर्जर एडवोकेट ने जबाब इस प्रकार पेश किया है कि सायल द्वारा प्रार्थना पत्र मे समस्त कथन एकदम गलत मनगढंत व कपोल कल्पित अंकित किये है। सायल आराजी ख0न0 932 रकवा 0.22 है0 मे 1/3 हिस्से की भूमि पर काश्तकार नही है नाही सायल अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है। प्रार्थना पत्र मे ख0न0 932 रकवा 0.22 है0 का सायल ने सन 1995 मे बदला कर लिया है तथा बदले के समय ख0न0 932 रकवा 0.22 है0 पर गैरसायलान का कब्जा काश्त है। सायल की खातेदारी की भूमि ख0न0 932 रकवा 0.22 है0 सन 1995 मे बदले मे गैरसायलान के पास आई है। ओर तभी से काबिज काश्त है। वर्णित आराजी का जो बदला हुआ है वह सायल जगदीश ने अपनी ख0न0 932 रकवा 0.22 है0 रामनिवास पुत्र घन्टोली जो कि गैरसायल न0 1 है को दे दिया था। गैरसायल न0 1 रामनिवास ने अपनी खातेदारी की आराजी ख0न0 1233 मे से 0.22 है0 धर्मसिंह, अमरसिंह व मोहरसिंह के पिता कजोडया मना को दे दी थी तथा धर्मसिंह, अमरसिंह व मोहरसिंह के पिता कजोडया ने अपनी कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी ख0न0 824 विश्राम पुत्र कृपाल मीना को दे दी थी तथा विश्राम पुत्र कृपाल मीना ने अपने कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी ख0न0 187 जंगली मेघराम पुत्र किरोडी मीना को दे दी थी तथा जंगली, मेघराम पुत्र किरोडी ने ख0न0 161 को सायल जगदीश को दे दिया था। तभी से गैरसायलान ख0न0 ख0न0 932 रकवा 0.22 है0 पर काबिज काश्त चले आ रहे है। सायल के ख0न0 आबादी के पास होने के कारण बेईमानी आ गई। सायल की कब्जा वापसी की मयाद भी निकल चुकी है तथा गैरसायलान को लोग टर्म आफ पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार समाप्त हो चुके है। इस प्रकार कब्जे के अभाव मे सायला का प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबिल नही है अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र सायल खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:01:03 IST
Reason: SelfAttested

उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई। [illegible] ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि ग्राम मरेडा [illegible] कुल किता 38 कुल रकवा 6.37 है0 मे सायल 1/3 हिस्से का खातेदार [illegible] दर्ज रिकार्ड है। तथा बकिया हिस्से के अन्य सहखातेदार काश्तकार दर्ज है। उक्त आराजी सायल के कब्जे काश्त की आराजी है तथा वे ही काश्त कर रहे है। उक्त आराजी से सायल के अलावा गैरसायलान या अन्य किसी भी व्यक्ति का कोई संबध किसी प्रकार का नही है, और नाही आज है,

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

Scanned with OKEN Scanner

गैरसायलान लठैत, मुठमर्द राजनैतिक पहुच रखने वाले व्यक्ति है। जिन्होने एक गिरोह कर रखा है तथा वे येन कने प्रकारेन सायल को हैरान परेशान कर सायल की आराजीयात से सायल को बेदखल कर उन्हे उनकी आराजी से बेदखल करने पर उतारू है। गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय से पाबन्द किया जावे कि ग्राम मरेडा की आराजी ख0न0 932/0.22 है0 मे सायल को बेदखल नही करे। सायल के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे। सायल को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे। रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

गैरसायल वकील ने जबाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि सायल द्वारा प्रार्थना पत्र मे समस्त कथन एकदम गलत मनगढंत व कपोल कल्पित अंकित किये है। सायल आराजी ख0न0 932 रकवा 0.22 है0 मे 1/3 हिस्से की भूमि पर काश्तकार नही है नाही सायल अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है। प्रार्थना पत्र मे ख0न0 932 रकवा 0.22 है0 का सायल ने सन 1995 मे बदला कर लिया है तथा बदले के समय ख0न0 932 रकवा 0.22 है0 पर गैरसायलान का कब्जा काश्त है। सायल की खातेदारी की भूमि ख0न0 932 रकवा 0.22 है0 सन 1995 मे बदले मे गैरसायलान के पास आई है। ओर तभी से काबिज काश्त है। वर्णित आराजी का जो बदला हुआ है वह सायल जगदीश ने अपनी ख0न0 932 रकवा 0.22 है0 रामनिवास पुत्र घन्टोली जो कि गैरसायल न0 1 है को दे दिया था। गैरसायल न0 1 रामनिवास ने अपनी खातेदारी की आराजी ख0न0 1233 मे से 0.22 है0 धर्मसिंह, अमरसिंह व मोहरसिंह के पिता कजोडया मना को दे दी थी तथा धर्मसिंह, अमरसिंह व मोहरसिंह के पिता कजोड्या ने अपनी कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी ख0न0 824 विश्राम पुत्र कृपाल मीना को दे दी थी तथा विश्राम पुत्र कृपाल मीना ने अपने कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी ख0न0 187 जंगली मेधराम पुत्र किरोडी मीना को दे दी थी तथा जंगली, मेधराम पुत्र किरोडी ने ख0न0 161 को सायल जगदीश को दे दिया था। तभी से गैरसायलान ख0न0 ख0न0 932 रकवा 0.22 है0 पर काबिज काश्त चले आ रहे है। सायल के ख0न0 आबादी के पास होने के कारण बेईमानी आ गई। सायल की कब्जा वापसी की मयाद भी निकल चुकी है तथा गैरसायलान को लोग टर्म आफ पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार समाप्त हो चुके है। इस प्रकार कब्जे के अभाव मे सायला का प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबिल नही है अत: जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र सायल खारिज फरमाया जावे।

विद्वान वकीलो की बहस पर गहनता से मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को निर्णित करने के लिए विचारणीय न्यायालय को तीन बिन्दुओ को तय किया जाना होता है।

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरण:—** प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी पत्रावली मे शामिल ग्राम मेरेडा की जमाबन्दी सम्वत 2076—79 मे वर्णित कुल किता 38 कुल रकवा 6.73 है0 सायल जगदीश पुत्र रामफूल हिस्सा 1/3 का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। बकिया हिस्से मे मुताबिक जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सानुसार अन्य सह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। लेकिन गैरसा[illegible] रिकार्ड नही है, सायल द्वारा आराजी ख0न0 932 रकवा 0.22 है0 का [illegible] है। सायल द्वारा एक ही आरजी ख0न0 932 मे [illegible] प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार वर्णित आराजी ख0न0 9[illegible] द्वारा क्रय करना बताया है सन 1977 से 2015 तक सायल का कब्जा, [illegible] 2016 से 2021 तक गैरसायल रामनिवास पि0 घंटोली का कब्जा, सन 2022 मे सायल जगदीश का कब्जा बताया है और वर्तमान मे गैरसायल रामनिवास पुत्र घंटोली का कब्जा बताया है

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:01:03 IST
Reason: SelfAttested

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

Scanned with OKEN Scanner

उक्त कब्जे की रिपोर्ट अनुसार लगातार किसी का कब्जा साबित नही है, वास्तविक कब्जा तथा बदला करने संबधी विधिक दस्तावेज पेश नही किये जो गैरसायलान का लम्बा कब्जा साबित करता है, प्रथम दृष्टया रिकार्ड जमाबन्दी मे प्रार्थी का हिस्सा तथा पटवारी रिपोर्ट मे सम्वत 1977—15 तक सायल का लम्बा कब्जा प्रथम दृष्टया प्रकरण सायल के पक्ष मे साबित है।

2. **सुविधा का संतुलनः—** पत्रावली मे शामिल दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण सायल के पक्ष मे साबित होने से सुविधा का संतुलन सायल के पक्ष मे साबित है।
3. **अपूर्तनीय क्षतिः— प्रार्थना पत्र मे** वर्णित आराजीयात मे यदि गैरसायलान को पाबन्द नही किया जाता है तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है।

उक्त तीनो बिन्दु सायलान के पक्ष मे साबित होने से सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

अतः गैरसायलान को ता दावा फैसला पाबन्द किया जाता है कि ग्राम मेरेडा की आराजी ख0न0 932 रकवा 0.22 है0 मे सायलान के हिस्से की आराजी मे कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे, नाही किसी अन्य से करावे।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:01:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner